आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

आर्म्स अपीलवाद संख्या–354/2023

बिनोद बिहारी दूबे उर्फ बिनोद कुमार दूबे।

बनाम्

बिहार सरकार व अन्य।

उपस्थिति/प्रतिनिधित्व

वादी की तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, बिनोद बिहारी दूबे।

प्रतिवादी की तरफ से :–विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण।

आदेश

अनुसूची–14 फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
27.09.2024 **21.10.2024**	**प्रस्तुत अपील, आवेदक बिनोद कुमार दूबे उर्फ बिनोद बिहारी दूबे, पिता–स्व० जगनारायण दूबे, सा०–महमुदपुर थाना–आन्दर, जिला–सिवान द्वारा जिला दण्डाधिकारी, सिवान** के ज्ञापांक–379/शस्त्र, दिनांक–15.06.2023 के द्वारा आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति जो पहले से निलंबित है उसे निलंबन मुक्त करने संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि आवेदक को SBBL शस्त्र की अनुज्ञप्ति उनके पिता के उतराधिकारी होने के कारण हस्तान्तरण के पश्चात प्राप्त हुआ। उक्त अनुज्ञप्ति को जिला दंडाधिकारी, सिवान द्वारा आदेश ज्ञापांक–195 दिनांक–14.06.2020 से निलंबित कर दिया। इसी बीच आवेदक के विरूद्ध आंदर थाना कांड सं०–12/2017 एवं कांड सं०–81/2019 दर्ज होने एवं वारंट निर्गत होने तथा आयुध अधिनियम की धारा 17 (ग) का उल्लंघन किए जाने के आरोप में उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०–05/2012 को जिला दंडाधिकारी, सिवान द्वारा आदेश ज्ञापांक–195 दिनांक–14.06.2020 से निलंबित करते हुए उनसे कारण–पृच्छा की मांग की गई। इसी बीच आवेदक द्वारा जिला दंडाधिकारी सिवान द्वारा पारित आदेश को निरस्त (Quash) करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No.1540/2023 दाखिल की गई, जिसका निष्पादन	

WEB COPY NOT OFFICIAL

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–18.03.2023 को करते हुए निम्न आदेश दिया गया।

"It is needless to state that in case appropriate show cause reply is filed within a period of four weeks from today, the District Magistrate, Siwan, shall consider the same, in accordance with law and pass a reasoned and a speaking order within a period of six weeks thereafter.

The writ petition stands disposed off on the aforesaid terms."

तत्पश्चात् आवेदक द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा पर जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदक के शस्त्र निलंबन मुक्त करने संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया गया। इसी कड़ी में आवेदक द्वारा वर्तमान अपील आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यह मामला व्यवहार न्यायालय, सिवान के अधिवक्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित है। इनका आगे कहना है कि आवेदक को जिला शस्त्र शाखा से ज्ञापांक–1917/2020 दिनांक–14.06.2020 को निर्गत आदेश द्वारा शस्त्र को विक्रेता के दुकान में जमा करने के साथ आंदर थाना कांड सं०–81/2019 को सामान्य धाराओं के अन्तर्गत दर्ज है, के संबंध में कारण–पृच्छा की मांग की गई। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा की आवेदक द्वारा अपनी कारण–पृच्छा में यह स्पष्ट किया गया कि आवेदक और विपक्षीगण सहोदर भाई है, जो कि ईर्ष्या एवं डाह से झूठा केस किया है, जो जमीनी विवाद से संबंधित है, जो सभी केस न्यायालय में समाप्त हो गया है। इन्होंने आगे कहा कि जिला दंडाधिकारी के समक्ष सभी कागजात प्रस्तुत किया गया परन्तु जिला दंडाधिकारी द्वारा इस तथ्य की अनदेखी करते हुए शस्त्र को निलंबन मुक्त करने से इंकार किया जाना कानूनन सही नहीं है। इन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में अपीलकर्त्ता के विरूद्ध सिर्फ एक केस लंबित है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा की आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है बल्कि वे एक अधिवक्ता है एवं उनके सहोदर भाई के साथ जमीन से संबंधित आपसी घरेलू विवाद का मामला में दोष मुक्त हो चुके है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि चूँकि आवेदक सभी केसों में दोष मुक्त हो

WEB COPY NOT OFFICIAL

चुके है इसलिए इनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन मुक्त किया जाना न्यायसंगत है। अपने इस दावे के समर्थन में उनके द्वारा कतिपय न्याय निर्णय जो कि सदृश्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित है उनका भी उल्लेख किया गया। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिला दंडाधिकारी, सिवान द्वारा पारित आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए उसे निरस्त करने का निवेदन किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण द्वारा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए वक्तव्य पर असहमति व्यक्त करते हुए यह कहा गया कि आवेदक के विरूद्ध दर्ज अपराधिक थाना कांड को अनुज्ञापन पदाधिकारी से छिपाया गया है इन्होंने आगे कहा कि जिला दंडाधिकारी, सिवान द्वारा पारित आदेश न्यायपूर्ण, सही एवं विस्तृत है इसलिए इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है एवं वर्तमान अपील आवेदन गुण–दोष के आधार पर खारिज होने योग्य है।

वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलील, अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा इस आधार पर निलंबित किया गया की अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध भा०द०स० के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत स्थानीय थाना में दो अपराधिक मुकदमा दर्ज है एवं इनके द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 17 (C) का भी उल्लंघन किया गया है। पुनः अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत निलंबन मुक्ति संबंधित आवेदन को भी इसी आधार पर अस्वीकृत किया गया है। यद्यपि अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान यह बात प्रमुखता से रखी गई की अपीलकर्त्ता के विरूद्ध दर्ज दोनों अपराधिक कांड से वे दोष मुक्त हो चुके है परन्तु इस संबंध में उनके द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिससे की इस न्यायालय द्वारा उक्त दलील पर विश्वास करते हुए स्वीकार किया जा सके। इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा यह कहा गया कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध वर्तमान में भी एक अपराधिक मुकदमा लंबित है। ऐसी स्थिति में जिला दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमसंगत एवं त्रुटि रहित है और अपील आवेदन खारिज होने योग्य है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

उपरोक्त वर्णित कारणों से मैं यह पाता हूँ कि जिला दंडाधिकारी, सिवान द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–379/शस्त्र, दिनांक–15.06.2023 पूर्णत शस्त्र अधिनियम–2016 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत है। जिला दंडाधिकारी, सिवान द्वारा पारित आदेश सुस्पष्ट एवं मुखर है एवं इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। दूसरी ओर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी जिला दंडाधिकारी, सिवान के आदेश में ऐसी कोई त्रुटि इंगित नहीं कर सके है, जिससे की इस स्तर से उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने पर विचार किया जा सके।

अतः उपरोक्त के आलोक में जिला दंडाधिकारी, सिवान द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–379/शस्त्र, दिनांक–15.06.2023 को यथावत् रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाता है।

आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त आयुक्त।

WEB COPY NOT OFFICIAL